प्र.सं. 60/2020 नारू बनाम रूपा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डांगियों का गुड़ा में आराजी नंबर 4774 से 4778 किता 5 रकबा 0.5900 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम 7/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा तथा पेमा पिता परथा का 1/4 हिस्सा दर्ज है, जिनका 4 वर्श पूर्व निधन होकर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का 1/4 हिस्सा है। पक्षकारान उक्त हिस्से अनुसार काबिज होकर अपने–अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। आराजी नंबर 4775, 4776, 4778 पर वादी, आराजी नंबर 4777 पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा आराजी नंबर 4774 पर प्रतिवादी संख्या 2 से 7 काबिज होकर का त करते चले आ रहे हैं, किन्तु पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं लगान व बैंक से ऋण प्राप्त कर भूमि का विकास करने में कठिनाई आती है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य उक्त हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.11.2011 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया, तत्प चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 30.07.2012 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.08.2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ओमप्रका ा डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से वकील श्री ... जी ी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:40 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को अभी हाल ही में जब प्रत्यर्थीगण ने कोविड–19 लॉकडाउन का फायदा उठाकर मौके पर फेसिंग करना चाहा, तो आपत्ति करने पर हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि बंटवारा फहरिस्त तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है, जो अपीलान्ट के हितों के विपरीत है तथा उक्त बंटवारा फररिस्त पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर भी नहीं है, जबकि वक्त बंटवारा अपीलान्ट मौके पर मौजूद था। अपीलान्ट के जिस बंटवारा फररिस्त पर हस्ताक्षर करवाये गये वह पत्रावली पर नहीं भिजवाई जाकर विधि विरूद्ध बंटवारा पत्रावली में सम्मिलित कर अपीलान्ट को अनुपयोगी भू–पट्टी दी गयी है तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति बता दी गयी है। उक्त बंटवारा फहरिस्त के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की है, वह त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि वर्श 2012 में डिक्री अपीलान्ट की सहमति से जारी की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि पर्चा मौका अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि तहसीलदार को मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में बंटवारा फहरिस्त तैयार करनी थी। तद्नुसार उक्त बंटवारा फहरिस्त के आधार पर अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 350/2010 निर्णय दिनांक 30.07.2012 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार पक्षकारों को सूचित कर स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा फहरिस्त तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्प चात् अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षों को सुनकर यदि उनकी कोई आपत्तियां हो तो उनका निस्तारण करते हुए विधि के आलोक में निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.12.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:40 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 60/2020 नारू बनाम रूपा व अन्य

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:40 IST
Reason: SelfAttested